विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम) एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास) विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010 CIN: U32201UP1999SGCO24928

https://recruitmentindia.in/

विज्ञापन सं० 09/VSA/2022/EA

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि॰ एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत "कार्यकारी सहायक" के पद हेतु, निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

1. रिक्तियों का विवरण :--

क्र पद म कोड सं0 कोड	पदनाम	अनारक्षित	EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy layer)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1 26	कार्यकारी सहायक Executive Assistant	416	103	278	216	20*

* उपरोक्त पदों में अनुसूचित जनजाति(बैकलॉग) के 08 पद सम्मिलित है।

- उपरोक्त रिवितयों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि॰ के पास सुरक्षित है।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन—लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक–1 के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. वेतनमानः- वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 में वेतनमान रू० 27,200-86,100 एवं अन्य भक्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०

में लाग, नियमानुसार देय होगें।

3. सामान्य अर्हतायें :--

(i) राष्ट्रीयत	॥ सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :
1	(क) भारत का नागरिक हो, या
	(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के
3	पूर्व भारत आया हो, या
	(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से
	पाकिस्तान, बर्मा(म्याँमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफीकी देश केनिया, युगाण्डा और
	यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रर्वजन
1	(Migrate) किया हो:
1 1	प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
	जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चूका हो:
	प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक
	अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
	अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण
	पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय
<u>.</u>	नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
. (ii) आयु	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम – 21 वर्ष
	दिनांक 01.01.2022 को अधिकतम 40 वर्ष
	L'SCUPP (

(iii)	चरित्र	(क)नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त
1	प्रमाण	का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के
	पत्र	बाद के लिए न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित
		किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें
		बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी।
4		(ख)अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
ľ		प्रस्तुत करना होगा।
		(ग)अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के
		सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	रवस्थता	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये
5 5	प्रमाण	हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक रचस्थता का प्रमाण पत्र
	पत्र	जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा
		अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से
	रिथति	अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो
1		जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस
		नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष
1		कारण विद्यमान हैं।

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

4. अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रियाः-अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:--

¤ अनिवार्य अर्हतायें :

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि ।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

¤ चयन प्रक्रियाः

(क) लिखित एवं दक्षता परीक्षा : चुयून लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग - (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की रिधति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोडे नहीं जायेंगे।

द्वितीय <u>भागः -</u> लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
25	25
45	45
55	55
55	55
कुल अंक	180
	toto - l
	25 45 55 55

तृतीय भागः-

- डितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अग्रेजी टंकण हेतु कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।
- हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।
- चयन हेतु हिन्दी टंकण में <u>न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति</u> प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होगें। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किये जायेंगे जो हिन्दी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किये हों अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

विशेषः— (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों एवं तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुये अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रकिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

5- अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :--अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा (CBT) में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अईता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमिलेयर) का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक हे)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक हे)/स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)/विकलांगता प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शारानादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रशीमक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जॉच के समय जमा करायी जायेगी। दक्षता परीक्षा (टंकण) के उपरान्त अर्ह पाय गये अभ्यर्थियों मे से लिखित परीक्षा (CBT) के द्वितीय भाग एवं टंकण परीक्षा में प्राप्त अंको के योग की अच्छता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 02 गुना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के ही अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति, श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(घ) टंकण परीक्षा एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

6-आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं रवतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

ESCU 78 47 HS

3

?--आरक्षण :-- आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय--समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों मे निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होगें। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग (विकलांगता श्रेणी-OA,B,OL,PB) अभ्यर्थीयों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो

उ०प्रंत के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

8- अनापति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9- आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1. अनारक्षित श्रेणी, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रू० 1180/- प्रति आवेदन
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हेतु	(जी०एस०टी० सहित)
2. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के	रू० 826/- प्रति आवेदन
अभ्यर्थी हेतु	(जी०एस०टी० सहित)
3. उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क	रू० 12/- प्रति आवेदन
	(जी०एस०टी० सहित)

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/Payment Gateway अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे**।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही रथानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

10.आवेदन कैसे करें: कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. '09/VSA/2022/EA' FOR THE POST OF 'EXECUTIVE ASSISTANT' पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली---भॉति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई--मेल एवं मोबाइल नम्बर अन्तिम परीक्षाफल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

11.प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई—मेल एव SMS पर प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

12. पारदर्शिताः – परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:--

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 03 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलेंड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा (CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यार्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस–शीट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड़ करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की रिथति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

14. अन्य विशेष सूचना :

(1)अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जॉच के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (2)कन्द्र / राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं। (3)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ तथा एक–एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जॉच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत_पाये**

the



4

जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4)अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

(5)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk922.ea@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

15.परीक्षा स्थानः– परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, कानपुर, एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अधवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

16. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	19.08.2022 से 12.09.2022
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	19.08.2022 से 12.09.2022
3	एस0बी0आई0 चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 12.09.2022)	19.08.2022 से 14.09.2022
3	परीक्षा की सम्भावित अवधि	अक्टूबर–2022 के द्वितीय सप्ताह

सचिव

दिनांकः ०३/०८/ २०२२_८ .सं0 1717 / विसेआ / 09-VSA-2022-EA

Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$Xn = \frac{S2}{S1} \cdot (X - Xav) + Yav$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average	
	Score taken as base for normalization	
<u>S1</u>	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)	
X	Raw score of a candidate	
Xav	Simple average of the candidate Shift	
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as	
1 av	base for normalization)	



1942

6